

1. Administration & Power

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

क्रमांक एफ.8-157-34-2-91-93.

भोपाल दिनांक 2 फरवरी 1993

प्रति .

1. प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल .
2. समस्त मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

विषय :- जल प्रदाय योजना कि पुनरिक्षित प्रशासकिय स्वीकृति बाबत संक्षेपिका का प्रारूप.

वित्त विभाग को पुनरिक्षित प्रशासकिय स्वीकृति बाबत अनेक योजनाए वर्तमान में भेजी गई है जिनके परिक्षण उपरान्त उनका अनुरोध है कि एक स्वयं स्पष्ट संक्षेपिका उपलब्ध कराई जाये. जब भी कोई प्रकरण इस प्रकार का उनको प्रेषित किया जाता है तो संक्षेपिका अनुसार जिसमें कि योजना की वस्तुस्थिति के साथ निम्नांकित बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी दी जाये :-

1. योजना का नाम
2. मूल स्वीकृति लागत
3. मूल स्वीकृति का वर्ष/ क्रमांक
4. प्रस्तावित पुनरिक्षित लागत
5. मूल तथा पुनरिक्षित लागत का अन्तर
6. अ.क्र.5 के अन्तर अर्थात आधिक्य का तुलनात्मक विवरण:
- 7.

अ.क्र.	प्राक्कलन की मद	मूल स्वीकृती लागत	प्रस्तावित पुनरिक्षित	अन्तर (3-4-5)	आधिक्य/कमी के कारण
1	2	3	4	5	6

7. पुनरिक्षित लागत में ऐसी कितनी मद है जिनकी परिकल्पना मूल प्राक्कलन में नहीं थी तथा अब सम्मिलित किया गया हो
8. अ.क्र. 7 में बताये गये मद की लागत तथा इनकी सम्मिलित करने के कारण .
9. योजना पर प्रस्ताव करते समय अधतन कितना व्यय हो चुका है तथा कितना व्यय करना शेष हैं.

- (1) तक किया व्यय
- (2) शेष काम जो करना है
- (3) प्रस्तावित पुनरिक्षित लागत

10. योजना पर किये गये व्यय के परिप्रेक्ष्य में भौतिक प्रगति

- (1) कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका हैं.
- (2) कितने प्रतिशत कार्य शेष हैं

11. योजना कब तक पूर्ण होना संभावित है.

- 12.. वित्तीय वर्ष का प्रावधान.

13. आगामी वर्षों के लिये वित्तीय व्यवस्था की उपलब्धता का विवरण.

14. यदि पुनरीक्षित स्वीकृति की कार्यवाही विलम्ब से की जा रही है तो इस विलम्ब के समाधानकारक कारण क्या है.
- 15 अन्य जानकारी जो विभाग , प्रस्ताव के समर्थन में देना चाहें
2. आगे जो भी इस प्रकार के प्रकरण विभाग को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु भेजे जाये, उसमें उक्त बिन्दुओं पर जानकारी संक्षेपिका अनुसार भेजें, ताकि प्रकरणों के निराकरण में शीघ्रता एवं सुगमता हो. विभाग में आपकी ओर से जो भी अभी तक प्रकरण भेजे गये हैं तथा जिनकी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई तथा लंबित है उन सभी योजनाओं के लिये उक्त संक्षेपिका के आधार पर जानकारी तुरन्त प्रेषित करें

हस्ता./—
(वसीम अख्तर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन ,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,